भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-644

उत्तर देने की तारीख-06/02/2023

शिक्षा क्षेत्र में कमियां

†644. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहाः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा में अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष निधि उपलब्ध कराने की कोई घोषणा की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उन राज्यों को निधियां आवंटित की जा रही हैं जो अनुसंधान में पिछड़ रहे हैं: और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और उनमें सुधार हेतु 2019 में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने पाया कि भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर के अनुसंधान की समग्र गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

(ख) से (ङ): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। यूजीसी ने 24.05.2018 को गुणवत्ता अधिदेश को अनुमोदन प्रदान किया है। देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 5 उद्देश्य और 10 वर्टिकल शामिल हैं। ये 10 वर्टिकल इस प्रकार हैं: (i) छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम; (ii) अधिगम परिणाम-आधारित पाठ्यक्रम ढांचा; नियमित अंतराल में पाठ्यक्रम का संशोधन; (iii) प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया हेतु आईसीटी आधारित शिक्षण उपकरणों का उपयोग; (iv) छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल; (v) प्रत्येक संस्थान के लिए

सामाजिक और औद्योगिक जुड़ाव: प्रत्येक संस्थान ज्ञान के आदान-प्रदान और ग्राम समुदायों के समग्र सामाजिक/आर्थिक सुधार हेतु कम से कम 5 गांवों को गोद लेगा; (vi) परीक्षा सुधार - अवधारणा का परीक्षण, और अनुप्रयोग; एग्जिट परीक्षाएं; (vii) पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्र की प्रगति की ट्रैकिंग; (viii) सभी नए शिक्षकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण, और सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण - राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों (एनआरसी) की भूमिका; और सभी शैक्षिक प्रशासकों के लिए अनिवार्य नेतृत्व/प्रबंधन प्रशिक्षण (ix) संकाय द्वारा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देना और नए ज्ञान का सृजन करना; (x) गैर-प्रत्यायित संस्थानों की मेंटरिंग। यूजीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं और अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी राशि (करोड़ रुपये में)**
2019-20	1214.78
2020-21	1229.63
2021-22	1186.65

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

अनुसंधान पार्क: स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्ट-अप कल्चर सृजित करने पर सरकार द्वारा नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए, विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी)/भारतीय विज्ञान संस्थानों(आईआईएससी) में अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास में एक पूर्ण विकसित अनुसंधान पार्क पहले से ही कार्यात्मक है। आईआईटी -खड़गपुर में अनुसंधान पार्क का उद्घाटन अगस्त 2019 में किया गया था। आईआईटी गांधीनगर में एक अनुसंधान पार्क विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित है। आईआईटी दिल्ली में अनुसंधान पार्क का उद्घाटन 30.09.2022 को किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
2019-20	43.87
2020-21	167.50
2021-22	30.00

इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी(इंप्रिंट) भारत पहल: इंप्रिंट-II को वर्ष 2018 में इंप्रिंट -I (मार्च,2022 तक लागू) और उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) की योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था। इंप्रिंट-II के तहत परियोजनाओं को एक संयुक्त कोष बनाकर शिक्षा मंत्रालय और डीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। अन्य प्रतिभागी मंत्रालय/उद्योग उनसे संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से वित्तपोषण कर सकते हैं। स्वीकृत परियोजनाओं और उनकी लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

चरण	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
इंप्रिंट -II(ए+बी)	125	104.58
इंप्रिंट -II-सी	51	41.18
इंप्रिंट -II-सी-II	8	17.66
कुल	**184**	**163.42**

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने हेतु, अधिमानतः राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी/आईआईएससी/भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और चयनित केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (एनआईआरएफ शीर्ष 25 में) में पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन हेतु पीएमआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार चुना जाता है और उन्हें पहले दो वर्षों के लिए रु.70,000/- प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए रु.75,000/- प्रति माह, और चौथे और पांचवें वर्ष में रु.80,000/- प्रति माह की आकर्षक दरों से फेलोशिप प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शोध पत्र प्रस्तुत करने की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक अध्येता को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाता है। आज की तारीख तक, योजना के तहत अधिकतम 3000 अध्येताओं में से 2560 को प्रवेश दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि निम्नानुसार है

वर्ष	जारी राशि (करोड़ रु. में)
2019-20	28.27
2020-21	63.59
2021-22	155.10

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए): आरयूएसए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य चुनिंदा राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्तपोषण करना है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा उच्च शिक्षा परिदृश्य की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। अनुसंधान सहित विभिन्न घटकों के तहत अनुमोदन का राज्यवार विवरण https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Funds_under_RUSA.pdf पर उपलब्ध है।

अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क): यह संयुक्त अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 418 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह योजना 28 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों का समर्थन करके और भारतीय संस्थानों और 28 चयनित देशों (यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा, इटली, चीन और हांगकांग, जापान, सिंगापुर, रूस, इज़राइल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, दक्षिण

अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ताइवान, बेल्जियम, स्पेन, ब्राजील और फिनलैंड) के सर्वश्रेष्ठ विदेशी संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों की परिणति राष्ट्रीय और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को हल करने की दिशा में अग्रसर होगी। भारत के 6 प्रमुख संस्थानों (आईआईटी कानपुर, आईएसआई कोलकाता, आईआईटी दिल्ली, बीएचयू, आईआईटी मद्रास और आईआईटी इंदौर) के साथ 6 प्रमुख क्षेत्रों और उप-विषयों (मौलिक अनुसंधान, उभरते प्रभाव क्षेत्रों, अभिसरण, कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान, नवाचार-संचालित और मानविकी एवं सामाजिक अध्ययन) का एक सेट है। इन प्रमुख क्षेत्रों की भूमिका स्पार्क योजना के अंतर्गत प्रस्तुत संभावित संयुक्त-प्रस्तावों की समीक्षा करने और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने की है। अनुमोदित प्रस्तावों और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:-

चरण-I में 2018-19 में अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	चरण-II में मूल्यांकनाधीन प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)
394	1222	110.0

*****